

# कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-Fax-07432-231131, E-mail- dcfjhalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ ( ) एफसीए/उवसं/2018/ 48/3

दिनांक 3.04.18

निमित्त:-

संभागीय मुख्य वन संरक्षक  
कोटा।

विषय:- Construction of road From Taraj to Taradevi villege के निर्माण हेतु 0.87 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के कम मे।।

प्रसंग:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर के पत्रांक F14 ( ) 2017/FCA/PCCF/CCF-EDS-I Dated 06-03-2018 के ऑन लाईन ई.डी.एस. के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत ऑन लाईन ई.डी.एस. के कम निवेदन है कि चाही गई सूचना निम्नानुसार है:-

| S. No. | EDS Raised/Shortcomings in the Proposal   | Reply of EDS   |
|--------|---|--|
| 1      | प्रस्ताव में यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत एरिया केलकुलेशन रिपोर्ट में प्रस्तावित क्षेत्र 0.873 हैक्टर अंकित किया गया है जबकि प्रस्ताव 0.87 हैक्टर एवं वनाधिकार प्रमाण पत्र 0.87 का ही है। उक्त में एकरूपता लिया जाकर संशोधित है।                | एरिया केलकुलेशन रिपोर्ट सही कर संलग्न कर दी गई है।       |
| 2      | प्रस्ताव में दो हार्ड प्रति प्रस्तुत, जिनमें एक मूल प्रति दी जानी प्रस्तावित है। जो अभी तक अप्राप्त है वनाधिकार प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न की जानी प्रस्तावित है।  | वनाधिकार प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न कर दिया गया है। |
| 3      | प्रस्ताव में प्रस्तावित सडक की चौड़ाई 9 मीटर ली गई है। उक्त चौड़ाई का क्रॉस सेक्शन (विभिन्न स्थानों के ) संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।  | संलग्न कर दिया गया है।                                   |
| 4      | प्रस्ताव के पार्ट II के बिन्दू संख्या 10 में उप वन संरक्षक झालावाड़ द्वारा प्रस्तावित वन भूमि को न्यूनतम होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। उक्त के बारे में सही स्थिति की टिप्पणी उप वन संरक्षक झालावाड़ से ली जानी प्रस्तावित है।        | बिन्दू संख्या 10 में संशोधन कर दिया गया है।              |
| 5      | प्रस्ताव के पार्ट II के बिन्दू संख्या 13 में उप वन संरक्षक झालावाड़ द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं संधारण की योजना संलग्न की जानी प्रस्तावित है इस हेतु प्रस्तावित स्थल के KML file , GT sheet & DGPS Map संलग्न किया जाना प्रस्तावित है। | संलग्न कर दिया गया है।                                   |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 6  | उप वन संरक्षक झालावाड द्वारा अपनी स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु अग्रेषित किये जाने के बारे में नहीं लिखा गया है। जो प्रस्तावित है।                   | स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में संशोधन कर दिया गया है।   |
| 7  | प्रस्तावित वन भूमि का गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न की जानी अपेक्षित है।  | गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न प्रेषित है।   |
| 8  | प्रस्ताव में हार्ड प्रति में इंडेक्सिंग नहीं की गई है जो किया जाना प्रस्तावित है।  | इंडेक्स लगा दिये गये है।   |
| 9  | मक डिस्पोजल योजना संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।  | संलग्न कर दिया गया है।   |
| 10 | प्रस्ताव के टाइटल में तारा देवी ग्राम उल्लेखित है जबकि प्रस्तावित सड़क तारा देवी मंदिर तक बनाई जा रही है। इस बिन्दू पर यूजर एजेन्सी/उपवन संरक्षक अपनी टिप्पणी संलग्न करें। | यहाँ स्थित तारा देवी माता मंदिर की बहुत अधिक मान्यता है एवं काफी मात्रा में श्रद्धालु प्रतिदिन एवं नवरात्री में यहाँ आते हैं इस लिए इस स्थान को तारा देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। |

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय



(रामचन्द्र सिंह ओगरा)

उप वन संरक्षक

झालावाड़